Title: Re: Revision of pay and pension of serving and retired employees of NABARD- laid

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं मंत्री जी का ध्यान नाबार्ड बैंक की ओर दिलाना चाहता हूं । देश का नाबार्ड बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर करके बनाया गया था उस समय जो सेवा शर्ते कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए बनाई गई थी वे रिजर्व बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुकूल थी । लगातार 40 वर्षों तक साथ विभिन्न समझौतों के तहत आरबीआई के अनुरूप किया जाता रहा है । वर्ष 2001 में संसद के एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि आरबीआई के तर्ज पर ही कर्मचारियों का वेतन और भत्ता एक जैसा है उसका गजट भी प्रकाशित हुआ था वर्तमान में डी.एफ.एस. ने जो वर्ष 2017 से 2022 का वेतन संशोधन को स्वीकृत किया है वह आरबीआई से अत्यंत कम है ऐसा क्यों किया गया जबकि नाबार्ड सक्षम बैंक है तथा बीआर 1949 के तहत बैंकों का पर्यवेक्षण के साथ-साथ ग्रामीण ऋण का पुनर्वित्त का कार्य भी कर रहा है । आज देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के जन कल्याणकारी कई महत्वपूर्ण कार्य नाबार्ड ही कर रहा है ।

पेंशन का रिवीजन वेतन के संशोधन के साथ नहीं हो रहा है उससे बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई है । पूर्व में रिटायर हुए सीजीएम की पेंशन उनके जूनियर से काफी कम हो गयी है क्या वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक की पूर्व शर्तों के आधार पर वेतन एवं पेंशन पर डी.एफ.एस. निर्धारण पर पुनर्विचार करेगा नाबार्ड बैंक के कर्मचारियों का मनोबल बहुत कमजोर हो चुका है । वे न्याय की बाट जोह रहे हैं । नाबार्ड एवं आरबीआई दोनों का स्तर एक है ।

अतः सरकार उपरोक्त विषय पर सकारात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाए ।

_____